500 वर्गमीटर में व्यावसायिक मकान का पंजीयन अनिवार्य

शुक्रवार को समीक्षा हाल में बैठक करते रेरा के अध्यक्ष, आईजी, डीएम, एसएसपी व अन्य।

- रेरा ने प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला में दी जानकारी
- रेरा के अध्यक्ष व जांच आयुक्त ने अधिकारियों को बताये कानून

भागलपुर, वरीय संवाददाता। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कहा कि शहरी क्षेत्र या आयोजना क्षेत्र में 500 वर्गफीट क्षेत्र में यदि कॉमर्शियल मकान बनाए गए हैं या आठ अपार्टमेंट बनाया गया है तो ऐसे प्रोजेक्ट का निबंधन अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को समीक्षा भवन में रेरा बिहार द्वारा आयोजित प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला में शिरकत करने पहुंचे रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह और जांच आयुक्त संजय सिंह ने भागलपुर और बांका के पदाधिकारियों को नियम-कायदे बताए। रेरा अध्यक्ष ने कहा, अब सभी जिलों को एक पुस्तिका भेजी जाएगी। जिसमें उस जिले में निबंधित प्रोजेक्ट, निबंधित रियल एस्टेट एजेंट आदि से संबधित सूचना होगी। इसके अलावा उस जिले के आयोजन क्षेत्र की विस्तृत जानकारी, प्रोजेक्ट्स एवं प्रमोटर्स की रैंकिंग की सूचना होगी।

इस कदम का उद्देश्य जिलों को विस्तृत सूचना प्रदान करना है। रेरा अध्यक्ष ने कहा, सभी जिलों के डीएम व एसपी को यह सुविधा दी जाएगी कि अगर उन्हें कोई पीड़ित घर खरीदारों की शिकायत करें तो उसे रेरा बिहार के पोर्टल पर डाल सकें। रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि रेरा कानून बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके। इस कानून का और उद्देश्य है कि सभी हितधारकों की शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो सके। डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्राधिकरण को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि घर खरीदारों की वास्तविक समस्याएं समझ में आ सके। उनकी क्या दिक्कत है, इसका समाधान करते हुए नियम को उसी हिसाब से बनाया जा सके।